फाईल सं-I-17/1/2021-General Co-ordination

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

टॉवर-II, 9वां तल, जीवन भारती,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-01
दिनांक : 23.11.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अक्टूबर, 2021 के लिए मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के साथ पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अक्टूबर, 2021 के मासिक-सारांश के अवर्गीकृत भाग को प्रस्तुत करने का निदेश हुआ है।

संलग्न: यथोपरि

23/11/2021

(सुभाष सांगवान)
अवर-सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 011-23753813

प्रति:-

माननीय मंत्री परिषद के सदस्यों के निजी सचिव

प्रतिलिपि:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव।
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग।
5. मंत्रीमंडल सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. सभी सचिव, भारत सरकार।

प्रतिलिपि इनको भी:-

1. मंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) के निजी सचिव।
2. राज्य मंत्री (पंचायती राज) के निजी सचिव।

3. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव।

4. संयुक्त सचिव (केएसएस) / संयुक्त सचिव (एपीएन)/ संयुक्त सचिव (रेखा यादव)/ आर्थिक सलाहकार (बीकेबी) के निजी सहायक / निजी सचिव।

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

अक्टूबर, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. अब तक, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए घरेलू कचरे के प्रबंधन और निदान, मल-मूत्र प्रबंधनव पेयजल, वर्षा जल संरक्षणजल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, सहित बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 22,309.50 करोड़ रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग के तहत जारी किए गए ।

2. वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल के संचालन के लिए राज्य पंचायती राज अधिकारियों के लिए एक आभासी/ वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया ।

3. स्वामित्व योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) के साथ हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य राज्यों के साथ चर्चा चल रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतिम लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। 6 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश ने एक

कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों कोई-संपत्ति कार्ड वितरित किए। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित बैठक (वीसी) भी आयोजित की गई थी। पिछले महीने लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, असम, दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में भी ड्रोन उड़ान सेवा शुरू हो गई है। अक्टूबर तक 71,424 गांवों में ड्रोन उड़ान और 58 जिलों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।

4. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त प्रबंधनमें पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए लगातार राज्यों के सम्पर्क में है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत (जीपी) पंजीकरण के लिए राज्यों के साथ प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए, 94 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं और 91% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक पुस्तकें बंद कर दी हैं। चालू वर्ष अर्थात 2021-22 में 81 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं।

5. अक्टूबर तक, 2,30,588 पंचायती राज संस्थाओं ने ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) को ऑन-बोर्ड किया है और 1,53,190 पंचायती राज संस्थाओं ने 15वें वित्त आयोग अनुदान पर किए गए व्यय के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करते हुए ऑनलाइन लेनदेन किया है।

6. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने वास्ते एमओपीआर ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 22 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

7. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक अनुप्रयोग - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी का रिकॉर्ड रखता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने लेखा परीक्षकों का पंजीकरण (7,003 लेखापरीक्षक पंजीकृत) और 14वें वित्त आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा योजना (1,25,681 ग्राम पंचायतों) की तैयारी शुरू की। 26 राज्यों ने जीपी (ऑडिटी) उपयोगकर्ता (2,43,068 ऑडिटीज) बनाना शुरू किया। 26 राज्यों ने भी अनुप्रयोगों पर

टिप्पणियों (10,36,560 टिप्पणियों) को दर्ज किया और 25 राज्यों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट (95,060 रिपोर्ट) तैयार की। वर्ष 2020-21 के लिए 21 राज्यों में 70,150 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। इसमें से 16 राज्यों ने अवलोकन (3,41,924 अवलोकन) दर्ज किए हैं और 14 राज्यों (17,310 लेखापरीक्षा रिपोर्ट) द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है।

8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और बिहार राज्यों को उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के लिए 82.79 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

9. सुश्री जयश्री रघुनंदन (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव (तमिलनाडु सरकार) की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित पंचायती राज संस्थानों में एसडीजी के स्थानीयकरण पर विशेषज्ञ समूह ने 27 अक्टूबर, 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्रालय ने एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायतों की प्रभावी भूमिका के लिए आरजीएसए की संशोधित योजना निर्माण में इस समिति की विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

10. जन योजना अभियान (पीपीसी) 2021 के तहत पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर, 2021 को भोपाल में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए किया गया था। कार्यशाला में पंचायती राज विभाग/एसआईआरडी के वरिष्ठ अधिकारियों और इन राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

11. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना की केंद्र प्रायोजित योजना में सुधार के लिए ईएफसी नोट नीति आयोग और अन्य संबन्धित मंत्रालयों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 26.10.21 को तैयार कर परिचालित किया गया है।

12. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर, 2021 को 'भुवन-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी पोर्टल फॉर पंचायत हेल्थ रिसोर्सेज' पर एक वीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैज्ञानिक एफ, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और डीडीजी और निदेशक, सीबीएचआई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और निदेशक एनआरएससी और

डीडीजी, एनआईसी और मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एवं पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (इसरो), हैदराबाद द्वारा "पंचायत स्वास्थ्य संसाधनों की स्थिति और योजना के लिए भुवन-एनएचआरआर पोर्टल के उपयोग" पर एक ऑनलाइन प्रस्तुति दी गई थी। इस बात पर भी चर्चा की गई कि पोर्टल को निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों की जानकारी के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं पर भी विचार करना चाहिए, जो उनके पास आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी ग्राम पंचायतों में किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति को दूर करने में सुविधा हो। एनएचआरआर पर आधारित नागरिक केंद्रित एप्लिकेशन के विकास का पता लगाने के लिए एनआईसी, एनआरएससी, सीबीएचआई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। 15 नवंबर, 2021तक एनआईसी, एनआरएससी, सीबीएचआई, पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के प्रारूप पर चर्चा की गई। यह भी चर्चा की गई कि सभी हितधारकों द्वारा समझौता ज्ञापन पर उत्तरोत्तर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस संबंध में किसी भी प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा की जा सकती है।

13. मंत्रालय ने 02.10.2021 से 31.10.2021 के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और 31.10.2021 तक इस प्रकार शून्य पेंडेंसी प्राप्त करने वाले वीआईपी संदर्भों और संसदीय संदर्भों सहित सभी लंबे समय से लंबित शिकायतों और विभिन्न संदर्भों का निपटारा किया। इसके अलावा2566 फाइलों को हटाकर कुल 250 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई और बेकार पड़ी फाइलों और अभिलेखों के निपटान से 27,300/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

14. बीकन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों द्वारा सूचना साझा करने के लिए **25** अक्टूबर, **2021** को "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए एक वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया था। पीआरआई, विशेष रूप से बीकन पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा, वेबिनार में तकनीकी सत्रों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। वेबिनार का उद्घाटन सचिव, पंचायती राज द्वारा किया गया था जो जल और स्वच्छता, कोविड -**19** प्रबंधन, स्वयं के स्रोत राजस्व का सृजन और पंचायतों के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर आधारित था। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर पंचायती राज को समर्पित मासिक पत्रिका 'योजना' के नवंबर अंक का विमोचन महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के नेतृत्व में योजना प्रकाशन दल की उपस्थिति में सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया।

15. अक्टूबर, 2021 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 121 ई-फाइलें खोली गईं, जो माह के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

****

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of October, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. As on date, XV FC grants to the tune of Rs. 22,309.50 crore for F.Y. 2021-22 has been released by Ministry of Finance to the States for Rural Local Bodies/Traditional Local Bodies for improving basic services including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc.

2. A virtual training session was conducted for State Panchayati Raj officials for operationalizing Vibrant Gram Sabha Portal.

3. Under the SVAMITVA Scheme,with the aim to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 28 States/UTs have signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Survey of India (SoI) for the implementation of scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU. Milestone based targets are being set for States/UTs. On 6thOctober 2021, Madhya Pradesh organised an event wherein Hon'ble Prime Minister distributed e-property cards to the beneficiaries. Further, regular meeting (VCs) with States and SoI for implementation of Scheme in all States/UTs were also held. Drone flying has also commenced last month in Ladakh, Jammu & Kashmir, Assam, Daman and Diu and Arunachal Pradesh. Till October, drone flying has been completed in 71,424 villages and drone-flying fully completed in 58 districts.

4. Management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing with States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2020-21, 94% of the GPs have closed their month books and 91% of the GPs have closed their year books. In the current year i.e. 2021-22, 81% GPs have closed their month books.

5. Till October, 2,30,588 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI) and 1,53,190 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

6. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 22 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

7. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 (including Kerala) State started registration of Auditors (7,003 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 1,25,681 GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 26 States started creating GP (Auditee) users (2,43,068 Auditees). 26 States also recorded Observations (10,36,560 observations) on the application and 25 States generated audit reports (95,060 Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 70,150 GPs in 21 States. Out of this 16 States have recorded observations (3,41,924 observation) and report have been generated by 14 States (17,310 audit reports).

8. Funds to the tune of Rs.82.79 Cr has been released to the states of Arunachal Pradesh, Rajasthan, Assam and Bihar towards their approved Annual Action Plan(AAP) under the scheme of RashtriyaGram Swaraj Abhiyan (RGSA).

9. Expert Group on Localizing SDGs in Panchayati Raj Institutions constituted by Ministry of Panchayati Raj under the Chairmanship of Ms.JayashreeRaghunandan (IAS), Additional Chief Secretary (Government of Tamil Nadu) submitted its final report on 27th October, 2021. The Ministry, while formulating the revamped scheme of RGSA, has taken into account various recommendations of this Committee for effective role of the Panchayats in localization of SDGs.

10. Two-Days Regional Workshop on Economic & Social Transformation through Panchayat Development Plans under People's Plan Campaign(PPC) 2021 was organized on 28th and 29th October, 2021 in Bhopal for the States of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal. Senior Officers of Panchayati Raj Department/SIRDs and Elected Representatives of these States participated in the workshop.

11. EFC note for revamping of Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyaan (RGSA) scheme has been formulated and circulated on 26.10.21 for comments of NITI Ayog& other line Ministries.

12. AVC meeting on 'Bhuvan-National Health Resource Repository portal for Panchayat Health resources' was held on 5th October, 2021 under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Panchayati Raj. The meeting was attended to by Scientist F, O/o Principal Scientific Adviser to the Government of India and DDG & Director, CBHI, Directorate General of Health Services and Director, Ministry of Health and Family Welfare and Director, NRSC and DDG, NIC and Chief General Manager, National Remote Sensing Centre and senior officers of the Ministry of Panchayati Raj. An online presentation on "the utilization of Bhuvan-NHRR portal for Panchayat health resources status and planning" was made by Regional Remote Sensing Centre, National Remote Sensing Centre (ISRO), Hyderabad. It was discussed that the Portal should also consider the requirements of Elected Representatives and Panchayat Officials, in terms of information which should be readily available with them, which would facilitate them to address any health emergencies in their Gram Panchayats. The importance of collaboration of all stakeholders including NIC, NRSC, CBHI, Ministry of Health and Family Welfare, and Ministry of Panchayati Raj to explore development of a citizen centric application based on NHRR was emphasized. The drafting of MoU between NIC, NRSC, CBHI, MoPR and Ministry of Health and Family Welfare by 15thNovember, 2021 was discussed. It was also discussed that the signing of the MoU by all stakeholders would be held progressively and any preparatory meeting in this regard may be chaired by Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj.

13. The Ministry actively participated in the special cleanliness campaign during 02.10.2021 to 31.10.2021 and disposed of all the long pending grievances and various references including VIP references and parliamentary references achieving thus zero pendency as on 31.10.2021. Besides, 2566 files were weeded out freeing a total 250 square feet of space and generated revenue of Rs.27,300/- by disposing of the discarded physical files and records.

14. A virtual webinar was organized to commemorate "AzadikaAmrutMahotsav" on 25th October, 2021 for information sharing by beacon and best performing panchayats. Besides the representatives of PRIs, especially the Beacon Panchayats, the webinar was attended to by line Ministries and Departments to Chair the technical sessions and State/UT representatives. The webinar was inaugurated by Secretary, PR that dwelt on subject like Water and sanitation, Covid-19 management, generation of own source revenues and digitalization of Panchayats. The PRI representatives also made various presentations highlighting the works they have done in these areas. On this occasion, the November issue of monthly magazine 'Yojana' dedicated to Panchayati Raj was released by Secretary, MoPR in the presence of Yojana publishing team led by DG, Publication Division of Ministry of Information and Broadcasting.

15. During October 2021,121 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****